संख्या- 639/18-4-2024

प्रेषक,

प्रांजल यादव,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उदयोग,
उदयोग एवं उदयम प्रोत्साहन निदेशालय,
उ0प्र0 कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 19नवम्बर, 2024

विषय :- ई0पी0सी0 मोड पर जनपद लखनऊ में यूनिटी माल की स्थापना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता तकनीकी सेल, ई0पी0सी0 मिशन, नियोजन विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-2904/यूनिटी माल/तकनीकी सेल/2024, दिनांक 30-8-2024 के माध्यम से ई0पी0सी0 मोड पर जनपद लखनऊ में यूनिटी माल की स्थापना के सम्बन्ध में कुल रू0 7165.46 लाख का आगणन उपलब्ध कराते हुए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया था। उक्त आगणन पर प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान (पीएफएडी) के मूल्यांकन तथा व्यय वित्त समिति के विचारोपरान्त उक्त प्रायोजना की संशोधित लागत रू0 6460.59 लाख मूल्यांकित की गई है। जनपद लखनऊ में यूनिटी माल के निर्माण कार्य हेतु रू0 6460.59 लाख (रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चौसठ करोड साठ लाख उनसठ हजार) मात्र की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 20000.00 लाख में से कुल परियोजना लागत की 35 प्रतिशत धनराशि अर्थात 2261.20 लाख (रू0 बाइस करोड़ इकसठ लाख बीस हजार) मात्र की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुए आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) वित्त विभाग के शासनादेश स० 10/2021/वी-2-96/दस- 2021 10/99 दिनाक 22 मार्च 2021 के अनुसार अनुमोदित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त इसकी डी०पी०आर० गठित करने के उपरान्त ही तकनीकी स्वीकृति निर्गत की जाय। यदि इस प्रक्रिया में यह परिलक्षित होता है की प्रशासकीय एव वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है तो प्रायोजना का पुनरीक्षित आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाय अन्यथा की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर व्यय वित्त समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

(2) प्रायोजना की लागत रू0 50.00 करोड से अधिक है। अत वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार प्रायोजना का निर्माण कार्य ई०पी०सी० मोड पर कराया जाना है। अत: प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई०पी०सी० मोड की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। उदयोग एवं उदयम प्रोत्साहन निदेशालय (स्टेट नोडल एजेन्सी) द्वारा अपने स्तर से सुनिश्वित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० अलग से सम्मिलित न हो।

(4) प्रायोजनान्तर्गत म्यूरल 06 अदद एवं मूर्ति 11 अदद हेतु रू0 61.37 लाख की धनराशि सम्मिलित की गयी है। उदयोग एवं उदयम प्रोत्साहन निदेशालय (स्टेट नोडल एजेन्सी) द्वारा इसकी आवश्यकता एवं औचित्य से स्वयं सतुष्ट होते हुए उक्त कार्य सम्पादित कराये जायें।

(5) प्रायोजना प्रस्ताव / आगणन में प्रस्तावित विभिन्न कार्यमद यथा-Curtain Wall Glazing with Strutural Clamp System TENSILE FABRIC SHEET WITH COMPLEJE STRUCTURE IN ATRIUM ESCALATOR LIGHT & JAN FINTURES MEDIUM VOLTAGE PANEL and other Electrical items. INTERNAL &ENT FACADE WORK, STREET FURNITURE MURAL ART 6 No. Sculpture 11 No LOUVERS ROOFING SYSTEM इत्यादि की लागत बाजार दर/कोटेशन दरों के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इन कार्यों की लागत को इंडीकेटिव दरे मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अत क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी सस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। उदयोग एवं उदयम प्रोत्साहन निदेशालय (स्टेट नोडल एजेन्सी) द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) उदयोग एवं उदयम प्रोत्साहन निदेशालय (स्टेट नोडल एजेन्सी) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(7) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप उदयोग एवं उदयम प्रोत्साहन निदेशालय (स्टेट नोडल एजेन्सी) द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण / सक्षम लोकल आधॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी सस्था / उदयोग एवं उदयम प्रोत्साहन निदेशालय (स्टेट नोडल एजेन्सी) का होगा।

(9) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए लागत का आकलन किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(11) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है तथा प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है

(12) उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का उपभोग पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधो के अधीन किया जायेगां तथा उक्त धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित कर व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्चयन हेतु नहीं किया जायेगा।

(13) योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-2457-दस/2014-231/2014, दिनांक 22-7-2014 तथा वित्त आय-व्ययक अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1:2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 तथा व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 11-9-2024 के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशानुसार जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेश के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी वित विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(15) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1एवं2 30प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

3. उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-03 के अंतर्गत लेखा शीर्षक-4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय- 102-लघु उद्योग-09 भारत सरकार द्वारा राज्यों को पूजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता-0901-यूनिटी माल का निर्माण-24 वृहद निर्माण कार्य (4851-00-102-0901-24) के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-6-110-X-2024-25 दिनाक 18-11-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रांजल यादव)
सचिव

संख्या- 639 (1)/18-4-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।

3-महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-।)सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन,उ0प्र0 प्रयागराज/ लखनऊ।

4- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।

6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर/लखनऊ।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनु0-1, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3

8-

9-उप सचिव (श्री पुष्पेन्द्र सिंह) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन को ऑनलाइन बजट एलाटमेण्ट) सिस्टम में प्रविष्टि हेतु ।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(दयाराम यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in